website: www.pawanprawah.com
पवन प्रवाह
लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक
सत्य का प्रवाह सतत् प्रवाह
डाक पंजीयन संख्या GPO LW/NP-106/2018-2020

लेखक डॉ. भरत राज सिंह
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक
एवं वैदिक विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष हैं

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति व वर्तमान स्थिति

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप नव गठित भारत सरकार 30 मई 2019, शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। निशंक ने आज दिनांक 31 मई 2019 को ही कार्यभार संभाला और जो मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ का अद्धयन किया । जिसकी सन्क्षिप्त विवरण का उल्लेख किया जा रहा है ।

भाग-14

गतान्क से आगे

13.3 राष्ट्रीय स्तर

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन सम्बन्धी देख-रेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बोर्ड उपयुक्त समितियों के माध्यम से एवं मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क तथा समन्वयन के लिए बनाए गए प्रक्रमों के माध्यम से कार्य करेगा। केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए इनमें व्यावसायिक दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को लाया जाएगा।

13.4 भारतीय शिक्षा सेवा

शिक्षा के प्रबंध में उपयुक्त ढांचे के निर्माण केलिए तथा इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय शिक्षा सेवा का एकअखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाये। इस सेवा से सम्बन्धित बुनियादी सिद्धान्तों, कर्तव्यो, तथा नियोजन की विधि की बाबत निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा।

13.5 राज्य स्तर

राज्य सरकारें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह के राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगीं। मानव संसाधन विकास के संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के समाकलन के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए। शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाध्यक्षों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए उचित चरणों में संस्थागत प्रबन्ध किए जाने चाहिए।

13.6 जिला तथा स्थानीय स्तर

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रबंध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी तथा राज्य सरकारें यथाशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करेंगी। शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आयोजना, समन्वयन, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां सहभागिता निभायेंगी।

शिक्षा व्यवस्था में संस्थाध्यक्षों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। उनके चयन तथा प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। लचीला रवैया अपनाते हुए विद्यालय संगमों (स्कूल काम्पलेक्सेज) को विकसित किया जायेगा ताकि वे शिक्षा संस्थाओं के आपसी तानेबाने (नेटवर्क) का माध्यम बनें, तथा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने और उनके द्वारा कर्त्तव्यनिष्ठा के मानदण्डों के पालन में सहायक हों। साथ ही विद्यालय संगमों के द्वारा, संबधित संस्थाओं के लिए अनुभवों का आपसी आदान-प्रदान करना, तथा एक दूसरे की सुविधाओं में साझेदारी का रिश्ता बनाना संभव होना चाहिए। यह अपेक्षा की जा सकती है कि विद्यालय संगमों की व्यवस्था के बनने के साथ वे निरीक्षण कार्य का ज्यादातर जिम्मा संभाल लेंगें।

उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

13.7 स्वैच्छिक एजेन्सियाँ तथा सहायता प्राप्त संस्थाएँ

गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों को, जिनमें समाजसेवी सक्रिय समुदाय भी शामिल हैं, प्रोत्साहन दिया जाएगा और वित्तीय सहायता भी मुहबया करवाई जाएगी बशर्ते कि उनकी प्रबंध व्यवस्था ठीक हो। इसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को रोका जाएगा जो शिक्षा को व्यापारिक रूप दे रही हैं।

14.0 संसाधन तथा समीक्षा

शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) और शिक्षा से संबंधित अन्य सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे समतावादी उद्देश्यों और व्यावहारिक तथा विकासोन्मुख लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कि इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुरूप शिक्षा में पूँजी निवेश हो।

जिस हद तक सम्भव होगा, इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे-चंदा इकट्ठा करना, इमारतों का रख-रखाव तथा रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना। वे संस्थाएँ जो अनुसंधान में या वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपने काम का उपयोग करने वाली एजेंसियों पर उपकर या प्रभार लगा कर कुछ साधन जुटा सकती हैं। इन एजेंसियों में सरकार और उद्योगों को शामिल किया जा सकता है। ये सभी उपाय न केवल राज्य संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिये किये जाएंगे, अपितु शैक्षिक प्रणाली में जनता के प्रति जवाबदेही की व्यापक भावना को पैदा करने के लिए भी कारगर होंगे। तथापि, साधनों की समूची वित्तीय आवश्यकता के मुकाबले में इन उपायों से थोड़े ही अंश में योगदान हो पाएगा। वास्तव में सरकार तथा देशवासियों को ही मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिये वित्तीय साधन जुटाने होंगे, यथा प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, निरक्षरता निवारण, देश भर में सभी वर्गों के लिये समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा की सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिकता बढ़ाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यात्मकता में वृद्धि करना, ज्ञान तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वयं-स्फूर्त आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, राष्ट्रीय अस्मिता बनाए रखने के लिये अनिवार्य माने गये मूल्यों के प्रति चेतन जागरूकता पैदा करना।

शिक्षा में आवश्यक पूँजी न लगाने या अपर्याप्त मात्रा में लगाने के हानिकारक परिणाम वास्तव में बहुत गम्भीर हैं। इसी तरह, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की उपेक्षा से होने वाली हानि अस्वीकार्य होगी। इन क्षेत्रों में पूरी तरह संतोषप्रद स्तर के कार्य का निष्पादन न होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अपरिहार्य क्षति होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुचारू बनाने के लिये स्वतन्त्रता से अब तक समय-समय पर गठित संस्थाओं के नेटवर्क को पर्याप्त मात्रा में और तत्परता से आधुनिक बनाने की जरूरत होगी क्योंकि ये संस्थाएँ बड़ी तेजी से पुरानी पड़ती जा रही हैं।

इन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षाको राष्ट्रीय विकास और पुनरूत्थान के लिये पूँजी लगाने का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए ताकि वह यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक पहुंच सके। चूंकि तब से अब तक शिक्षा पर लगी पूँजी का स्तर उस लक्ष्य से कापफी कम रहा है, अतः यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि अब इस नीति में निर्धारित कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक दृढ़संकल्प दर्शाया जाए। यद्यपि समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति के जायजे के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाएगा, पर इस नीति के कार्यान्वयन में पूँजी निवेश जिसहद तक जरूरी होगा, उस हद तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करके यह वह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से सर्वदा अधिक हो।

15.0 समीक्षा

नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्षों में अवश्य ही की जाएगी। कार्यान्वयन की प्रगति और समय-समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिये मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे।

क्रमशः शेष अगले अंक मे पढ़ें